भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3729
21 दिसंबर, 2021 को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय सहकारी समिति विकास निधि

3729. श्री डी.एम. कथीर आनंद:
डॉ. टी. सुमति(ए) तामिझाची थंगापंडियन:

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सहकारी समितियों की पहुंच बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय सहकारी समिति विकास निधि स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने राज्य में कार्यरत बहु-राज्य सहकारी समितियों और सहकारी समितियों हेतु इस नवगठित मंत्रालय की शक्तियों, क्षेत्राधिकार और भूमिकाओं तथा जिम्मेदारियों का सीमांकन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संविधान में निहित राज्य सरकारों के अधिकारों का उल्लंघन किए बिना केंद्र किस प्रकार से राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगा?

उत्तर

सहकारिता मंत्री

(श्री अमित शाह)

(क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) देश में पहले से ही एक समृद्ध सहकारी विरासत और एक मजबूत सहकारी क्षेत्र है। देश में दो प्रकार की सहकारी संरचनाएँ अर्थात राज्य सहकारी समितियाँ और बहु-राज्य सहकारी समितियाँ हैं। केवल एक राज्य में कार्यरत सहकारी समितियाँ संबंधित राज्य सरकार के कानूनों द्वारा शासित होती हैं। एक से अधिक राज्यों में कार्यरत सहकारी समितियां केंद्रीय कानून, 'बहु-राज्य सहकारी समिति (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 (2002 का 39)' द्वारा शासित होती हैं। इसके अलावा, एमएससीएस अधिनियम, 2002 की धारा 84 और 108 के तहत कुछ शक्तियां भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को भी प्रत्यायोजित की गई हैं।

****